संख्या- 10 /2021/ 565 /अडतीस-7-2021- 46नरेगा/2019

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।**
2. **समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।**

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 **लखनऊ दिनांक 19 मार्च, 2021**

विषय- मानसून से पूर्व जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचयन हेतु जल शक्ति अभियान 2021 की तैयारी के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा चालू वर्ष में जल शक्ति अभियान चलाकर मानसून से पूर्व और मानसून के मौसम में देश के सभी जनपदों के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल के संचयन एवं संरक्षण का निर्णय लिया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा दिनांक 22-03-2021 से जल शक्ति अभियान का शुभारम्भ किया जा रहा है, जिसकी मुख्य थीम " Catch the rain"(CTR) है। इस सम्बन्ध में दिनांक 22-03-2021 को पूर्वान्ह 11:00 बजे जल दिवस के अवसर पर मा0 प्रधानमंत्री, भारत सरकार द्वारा वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से सभी जनपदों के जिलाधिकारियों/उपायुक्तों/सभी ग्राम पंचायतों के सरपंचों(चुनाव से संबंधित राज्यों को छोड़ते हुए) को सम्बोधित किया जायेगा।

3- अत: आपसे अनुरोध है कि कृपया मा0 प्रधानमंत्री जी के सम्बोधन के उपरांत अपने जनपद से संबंधित सभी ग्राम सभाओं में जल की उपयोगिता एवं जल संरक्षण से संबंधित विचार गोष्ठियों का आयोजन करायें। इस संबंध में भारत सरकार से प्राप्त अर्द्धशा0 पत्र संख्या-771/2/1/2021-सीए-IV दिनांक 11-03-2021 एवं अर्द्धशा0 पत्र संख्या-एम-93012/8/2021-एनडब्लूएम दिनांक 16-03-2021 की प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है। इस अनुक्रम में यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों में जिलाधिकारीगण उनके प्रशासक के माध्यम से ग्रामसभा की विशेष बैठक का आयोजन कर उक्त तिथि को जल संरक्षण पर विचार-विमर्श एवं जल-शपथ का आयेाजन करायें तथा मा0 प्रधानमंत्री जी के उदबोधन को लाइव सुनने की व्यवस्था सार्वजनिक स्थल/पंचायत भवन आदि में करायें। प्रदेश स्तर पर जल शक्ति अभियान के नोडल विभाग, ग्राम्य विकास विभाग नामित हैं। जल शक्ति अभियान 2021(दिनांक 22-03-2021 से 30-11-2021 तक) के दौरान जिला स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी, विकास खण्ड में खण्ड विकास अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत में अधिशासी अधिकारी एवं नगर निगम में नगर आयुक्त इस अभियान के समन्वय व अनुश्रवण हेतु नोडल आफिसर नामित किये जाय।

4- मनरेगा योजना, जल ग्रहण क्षेत्र विकास योजना व पीएमकेएसवाई की 'PER DROP MORE CROP' योजना के अन्तर्गत जल संरक्षण का कार्य कराया जाय।

http://rchasanidesh.up.gov.in

5- नगरीय क्षेत्र में तालाबों व जल क्षेत्रों के पुनर्जीवन हेतु नगर निगम/नगर पालिकाएं पूरे अभियान काल के दौरान मनोयोगपूर्वक कार्य करेंगी।

6- दिनांक 22-03-2021 को ग्राम सभाओं में जल शपथ का कार्यक्रम कराया जाय और जल संरक्षण के संबंध में विचार गोष्ठी का आयेाजन करायें।

7- जल शक्ति अभियान के अन्तर्गत जल संसाधन व वर्षा जल संग्रहण, पारम्परिक एवं अन्य जल स्रोतों/तालाबों का पुनर्जीवन,बोरवेल्स के पुर्नप्रयोग व रिचार्ज के साथ ही जलग्रहण क्षेत्र के विकास एवं सघन वनीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाय।

8- बाबा साहब आम्बेडकर के जन्मदिवस दिनांक 14-04-2021 को एनवाईकेएस के अधिकारियों व जनपदों के युवा स्वंय सेवकों के माध्यम से 'फिट इण्डिया' कार्यक्रम चलाया जाय, जिसके अन्तर्गत जल श्रमदान कार्यक्रमों को भी सम्मिलित किया जाय। स्वच्छ भारत अभियान के साथ-साथ जल स्रोतों की सफाई का अभियान भी चलाया जाय।

9- कृषि विज्ञान केन्द्रों/ प्रशिक्षण-सत्र के माध्यम से सिंचाई में जल कुशल तकनीकों व माइक्रो इरीगेशन के प्रयोग को कृषकों में लोकप्रिय बनाया जाय।

10- इसके अतिरिक्त जल शक्ति अभियान के सुचारू संचालन हेतु जनपदों द्वारा निम्नलिखित गतिविधियों कों संचालित कराया जाना अपेक्षित है:-

- **(I)** जलाशयों से अतिक्रमण को हटवाते हुए उसकी सफाई तथा जीर्णोद्धार एवं सुधारीकरण कराते हुए इन जलाशयों में जल के आवागमन से संबंधित समस्त कार्यों को पूर्ण कराया जाय।
- **(II)** लघु एवं सहायक नदियों को समुदाय द्वारा संचालित नदी बेसिन प्रबन्धन के माध्यम से पुनर्जीवित कराया जाय।
- **(III)** जल ग्रहण क्षेत्रों को ठीक कराया जाय(वनीकरण आदि के माध्यम से)।
- **(IV)** सभी जलाशयों की सूची तैयार कराते हुए सभी की जीआईएस मैपिंग करायी जाय।
- **(V)** जल की उपलब्धता, मृदा स्तरों आदि के आधार पर जल संरक्षण हेतु वैज्ञानिक ढंग से कार्ययोजना बनायी जाय।
- **(VI)** सभी जनपदों के मुख्यालयों पर जल शक्ति के की स्थापना की जाय, जो जल के सम्बन्ध में ज्ञान के केन्द्र के रूप में कार्य करेंगे।
- **(VII)** जल संरक्षण के लिए जल संभरण क्षेत्र विकास योजना एवं मनरेगा के माध्यम से जल संरक्षण का कार्य कराया जाय। सभी ग्राम पंचायतों के लिए जीआईएस आधारित जल संभरण विकास योजनाएं तैयार की जाय।
- **(VIII)** जहां आवश्यक हो, जल शक्ति अभियान की गतिविधियों के संचालन हेतु ग्राम पंचायतें वित्त आयोग के अनुदान का उपयोग कर सकती हैं।
- **(IX)** स्वतंत्रता संग्राम के 75वीं वर्षगांठ के उत्सव में जल शक्ति अभियान से संबंधित गतिविधियों को भी कन्वर्जेन्स के माध्यम से सम्मिलित किया जाय।
- **(X)** अभियान अवधि में सरकारी इमारतों यथा-पंचायत भवनों, आंगनबाड़ी के , स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रूफ टॉप वर्षा जल संचयन से संबंधित कार्यों को सम्मिलित किया जाय।

http://shasanadesh.up.gov.in

(XI) जलशक्ति अभियान अवधि में किये गये कार्यों की समय से प्रगति आख्या भेजी जाय। जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार कराये जा रहे पोर्टल पर एमआईएस डाटा ससमय अपडेट कराया जाय।

11- अत: उपर्युक्त के अनुक्रम में आपसे अनुरोध है कि कृपया जल शक्ति अभियान के सुचारू रूप से संचालन के दृष्टिगत प्रश्नगत अभियान में कोरोना के दृष्टिगत सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कराते हुए समाज के सभी वर्गों/श्रेणी के लोगों की सहभागिता सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। संलग्नक यथोक्त।

भवदीय

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव।

संख्या- 10/2021/565 (1)/अड़तीस-7-2021 तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. **अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व, जल शक्ति, आवास, युवा कल्याण, सिंचाई, कृषि, लघु सिंचाई, पंचायती राज, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, नगर विकास, उद्यान, भूगर्भ जल, उ0प्र0 शासन।**
2. **आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।**
3. **अपर आयुक्त, मनरेगा, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।**
4. **मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड।**
5. **समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।**
6. **समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।**
7. **समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।**
8. **समस्त परियोजना निदेशक/उपायुक्त, श्रम रोजगार, उत्तर प्रदेश।**
9. **गार्ड बुक।**

आज्ञा से

मनोज कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in